

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- महेश गगोरिया, उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या-78/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्रीमती निवेदिता पुत्री जगदीश प्रसाद श्रृंगी, उम्र बालिग, निवासी झालरवावडी, चारभुजा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....प्रार्थीया

विरुद्ध

जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

.....विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीया की ओर से उपस्थित :- प्रदीप बीलू

अप्रार्थी की ओर से :- पेरोकार सरकार।

दिनांक:- 05.11.2024

--:आदेश:-

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा नगपुरा प0ह0 गोपालपुरा, भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बोराव, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 127 खसरा संख्या 492 रकबा 1.0800 है0 भूमि प्रार्थीया के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जेकाशत की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 492 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीया के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेव के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीया की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थीया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

--:आदेश:-

प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा नगपुरा प0ह0 गोपालपुरा, भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बोराव, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 127 खसरा संख्या 492 रकबा 1.0800 है0 भूमि प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।



(महेश गगोरिया) आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

